

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग / कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उपवान

बन्धन

राजवीर

हरिहित झाड़

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 215 / 2021

निर्णय दिनांक :- 02.12.2021

वादी की ओर से वकील श्री सुनिता लोधीवाल की व प्रतिवादी सं० 1. ना. 9. की ओर से वकील श्री राजेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि खोली मौजा बोटगामडेरना के खता संख्या 51/49 के खसमरा संख्या 53 की 16.2510 हे. वारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 हरिहित के नाम राजस रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त वाद कृषि भूमि की प्रतिवादी सं० 1 हरिहित के बाजार वादी राजवीर, प्रतिवादी सं० 1 हरिहित, प्रतिवादी सं० 2 झोमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 3 राजवीर, प्रतिवादी सं० 4 राजवीर, प्रतिवादी सं० 5 राजवीर को वहिसा करावर के कारखाने को घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 6 ना 9 ने अपना सम्पूर्ण एक वहिसा वादी एक प्रतिवादी सं० 1 ना 9 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है, इसलिए त्याग क्रिये गये हिस्से पर परकीयन विभाग को ये पंजीयन शून्य व त्याग इष्टी झाड़ा है। यदि उक्त भूमि पर बैंक का बहन है तो बहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस रिकॉर्ड में झमल प्रामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
 न्यायालय सहायक कलक्टर
 भादरा, जिला बल्लुआमवाट
 कैम्प कुली